विभाग का नाम :–खाद्य संरक्षा विभाग,

विभाग का पता :– आठवां तल, मयुर भवन, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली. 110001

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 201–अतारांकित

दिनांक:– 09–08–2018

प्रश्नकर्त्ता का नाम :–कुमारी राखी बिरला

क्या स्वास्थ्य मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि :–

	प्रश्न	उत्तर
क	मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में मदर डेयरी के कुल कितने बूथ हैं,	मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में 26 मदर डेयरी बूथों / दूकानों को लाईसेंस जारी किया गया हैं।
ख	क्या मदर डेयरी का सैम्पल तय समय पर जॉच के लिए भेजा जाता है,	जी हॉ।
ग	यदि हॉ, तो उसकी पूरी प्रकिया क्या है, और	विभाग द्वारा नमूने उठाकर अगले कार्य दिवस तक जांच के लिए लैब में भेजे जाते है, जहॉ नमूने की जांच करने के उपरांत 14 दिनों के अन्दर लैब के द्वारा संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट भेजी जाती है। तदुपरांत, संबंधित अधिकारी नमूने की जांच रिपोर्ट के आधार पर अगली कार्यवाही करता है। नमूने की रिपोर्ट खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के मानक के अनुसार नहीं होने पर उन खाद्य विक्रेताओं के विरूद्ध विधिवत कार्रवाई होती है।
घ	प्रत्येक मदर डेयरी बूथ पर कुल कितने व्यक्तियों की विभाग द्वारा अनुमति दी गई है?	खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत यदि कोई खाद्य विक्रेता पंजीकरण / लाईसेंस लेता है तो इस तरह की संबंधित सूचना की अनुमति की जरूरत नहीं है।

SATISH KUMAR GUPTA
Designated Officer/Licensing Authority
Deptt. of Food Safety
(Govt. of NCT of Delhi)
8th Floor, Mayur Bhawan
Connaught Place, New Delhi-110001